

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक-04, अप्रैल, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी में राहत कार्यों हेतु एन०सी०सी० कैंडेटों से अपेक्षित सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 247/पीएसएमएस/2020, दिनांक- 03 अप्रैल, 2020 तथा एन०सी०सी० निदेशालय के पत्र संख्या 273/04/gen corr/covid 19/Trg दिनांक 01.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के एन०सी०सी० कैंडेटों की सेवाएं कोविड-19 महामारी के राहत कार्यों में प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्तानुसार कृपया एन०सी०सी० निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार एन०सी०सी० नोडल अधिकारियों की सूची के क्रम में विभाग के समस्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को एन०सी०सी० नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर राहत कार्यों तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु बड़ी संख्या में एन०सी०सी० विद्यार्थियों का अपने जनपदों में सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

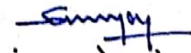
भवदीय

(संजय गोयल)
सचिव

पत्र संख्या-219(1)/एक-11-2020/2019-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
3. श्री एस०के० प्रसाद, कर्नल, अपर निदेशक कार्यालय, एन०सी०सी० निदेशालय अशोक मार्ग लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।


(संजय गोयल)
सचिव

मुख्य सचिव कार्यालय, उ०प्र० शासन
प्रथम तल, लोक मदन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या: 0522-2289212, 2289236, फैक्स-2239283
email- csup@nic.in

अति महत्वपूर्ण

संख्या: /पीएसएमएस/2020
दिनांक : 03 अप्रैल, 2020

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में उच्चस्तरीय वीडियो कन्फ्रेंस में दिये गए निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर सम्बन्धित विभागों को तत्काल अवगत कराया जाए:-

1- जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर श्रमिक एवं मजदूरों के कल्याण, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट, राहत व्यवस्था, स्वच्छता सेनेटाइजेशन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था, पशु चिकित्सा एवं आहार, पुलिस व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था एवं बैंक व्यवस्था तथा कृषि के सम्बन्ध में विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उसी प्रकार की समितियां प्रत्येक जिले में वरिष्ठ जिलास्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में बना ली जाएं ताकि विकेंद्रीकृत रूप से सभी कार्य प्रभावी रूप से चल सकें। सम्बन्धित विभाग भी यथासम्भव विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी से मांग करने के स्थान पर इन समितियों के अध्यक्षों/जिलास्तरीय अधिकारी से प्राप्त करें।

2- प्रत्येक जिले में एक अत्याधुनिक एकीकृत कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें पर्याप्त संख्या में लैण्डलाइन इन्टरनेट, कम्प्यूटर्स, टेलीविजन, आदि की व्यवस्था हो ताकि यह तत्परता से विभिन्न कार्यों का सम्पादन कर सके और सूचनाएं आदान-प्रदान कर सके। इसमें 03 शिफ्टों में सनी आवश्यक विभागों के अधिकारियों/कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए तथा ये 24X7 क्रियाशील रहें।

3- चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आयुष विभाग, सेना एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी सूची बना ली जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर जहां भी आवश्यक हो उनकी सेवाएं भी ली जाएं।

- 4- किसी भी दशा में कोई सामूहिक धार्मिक आयोजनों, जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, को न होने दिया जाए। धर्म गुरुओं के माध्यम से धार्मिक कार्य व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में ही करने के लिए अपील की जाए।
- 5- लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु बड़ी संख्या में स्वयंसेवियों की आवश्यकता होगी। उन्हें भी युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन0सी0सी0 तथा एन0जी0ओ0 एवं शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से तैयार कर लिया जाए। उनका सहयोग "डोर स्टेप डिलीवरी" हेतु भी लिया जा सकता है।
- 6- आश्रय गृह (Shelter Homes) पक्के व पर्याप्त बड़े भवनों में ही बनाये जाएं ताकि समुचित व्यवस्था करना सुगम हो। प्राइमरी स्कूल जैसे छोटे भवनों में यथासम्भव इन्हें न बनाया जाए।
- 7- सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना उचित होगा, परन्तु जनसामान्य द्वारा ऐसे मास्क का प्रयोग किया जाए जो धुलाई योग्य/पुनः उपयोग हेतु योग्य हों। ऐसे मास्क को महिला स्वयं सहायता समूहों, कारागारों एवं एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा भी कम मूल्य पर बनाया जा सकता है।
- 8- सभी व्यक्तियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे, जो होम क्वारन्टाइन में हैं, को भोजन/खाद्यान्न एवं आवश्यक दवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए तथा जिनके राशनकार्ड नहीं बने हैं, उनके राशनकार्ड भी बनवा दिए जाएं।
- 9- इस महामारी की रोकथाम हेतु कई गैर सरकारी व्यक्ति एवं संस्थाएं भी बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनकी सूची एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण संकलित कर रखा जाए।
- 10- कृपया अपने मंडल/जिलों में अपनी पूरी टीम का उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा, सद्भावना एवं टीम भावना का अधिकाधिक संचार करते हुए हम सभी मिलजुलकर कोविड-19 महामारी का उन्मूलन करें।

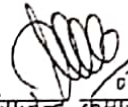
कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या: 2476/पीएसएमएस/2020 एवं तदिदनांक

प्रतिलिपि

- 1- अपर मुख्य सचिव, गृह/कारागार/राजस्व
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री
- 3- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/युवा कल्याण/चिकित्सा स्वास्थ्य/
ग्राम्य विकास/परिवहन
- 4- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०
- 5- प्रमुख सचिव आन्ध्रप्रदेश सरकार


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव